I/407163/2023

कृषि निदेशालय
प्राप्ति सं. 2247
दिनांक 23/3/2023
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–1
संख्या–107163/ई–14907/XIII-1/2023–03(10)2013
देहरादून दिनांक 20 मार्च, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

अधिसूचना संख्या–107049/ई–14907/XIII-I/2023–03(10)2013, दिनांक मार्च, 2023 द्वारा प्रख्यापित अधीनस्थ कृषि सेवानियमावली, 1993 को प्रतिस्थापित करते हुए नवीन नियमावली, 2023 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियां कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Pl. do needful
DDHR

आज्ञा से,

Signed by Ranvir Singh Chauhan
Date: 17-03-2023 15:40:13

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर सचिव।

21/03/23

23/3/23

1/107049/2023

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–1
संख्या– 107049 / ई–14907 / XIII-I/2023-03(10)2013
देहरादून दिनांक 20 मार्च, 2023

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए "उत्तराखण्ड अधीनस्थ कृषि सेवा" में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्ते विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 2023

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 2023 है (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
सेवा की प्रास्थिति	2.	उत्तराखण्ड अधीनस्थ कृषि सेवा एक अराजपत्रित सेवा है, जिसमें समूह ग (सहायक कृषि अधिकारी वर्ग एक, दो और तीन, सांख्यिकी संवर्ग के सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–2, संगणक/डाटा एंट्री आपरेटर और अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1, अभियंत्रण संवर्ग के कनिष्ठ अभियन्ता और प्राविधिक सहायक) के पद समाविष्ट हैं।
परिभाषाएं	3.	(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से विभागाध्यक्ष, कृषि विभाग अभिप्रेत है; (ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय; (ग) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है; (घ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है; (ड.) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल अभिप्रेत है; (च) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में

किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से अभिप्रेत है;

(छ) "नागरिको के अन्य पिछडे वर्गों" से समय–समय पर यथा संशोधित और उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड अधीनस्थ कृषि सेवा अभिप्रेत है;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग के किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ञ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से अभिप्रेत है;

भाग–दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उप नियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट–"क", "ख", "ग" और "घ" में दी गयी है;

परन्तु यह है कि–

(i) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड सकेगें अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेगें, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(ii) राज्यपाल ऐसे स्थाई या अस्थाई पदों

107049/2023

का सृजन कर सकते है, जैसा वे उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणीयों के पदों पर भर्ती इस नियमावली के परिशिष्ट "क","ख","ग" और "घ" में उनके सम्मुख वर्णित उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी।

पद का नाम	भर्ती का स्रोत
(1) सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
(2) सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2	(एक)– मौलिक रूप से नियुक्त वर्ग–3 के ऐसे कार्मिकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा। (दो)– सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 में शाखा का आवंटन उपलब्ध पदों की स्थिति के अनुसार कार्मिकों के विकल्प एवं वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के उपरान्त किया जायेगा। परन्तु यह कि यदि पात्र कार्मिकों की संख्या कम है तथा पदोन्नति हेतु पदों की संख्या ज्यादा है, तो, पदोन्नत कार्मिकों में से वरिष्ठता के आधार पर 85 प्रतिशत को विकास शाखा एवं 15 प्रतिशत को रसायन शाखा जिस अनुपात में पद है,

	के अनुसार शाखा आवंटित की जायेगी।
(3) सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1	(एक)– 50 प्रतिशत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो)– 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त वर्ग–2 के विकास शाखा एवं रसायन शाखा के कार्मिकों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(4) कनिष्ठ अभियन्ता	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
(5) प्राविधिक सहायक	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
(6) सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–2	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
(7) संगणक / डाटा एंट्री आपरेटर	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
(8) अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1	मौलिक रूप से नियुक्त सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–2 एवं संगणक / डाटा एंट्री आपरेटर के कार्मिकों में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदों के आनुपातिक क्रम में ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये विभागीय चयन समिति के माध्यम से शत–प्रतिशत

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड [पदोन्नति द्वारा।] राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में के स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो; होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, वर्मा, लंका अथवा केनिया, यूगांडा और संयुक्त तंजानिया, गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) और पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवर्जन किया हो;

परन्तु उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण– पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है, तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न हीं नामंजूर

किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हताएं

8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएँ होनी आवश्यक है:–

पद	अर्हताएं
(1) सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि में स्नातक उपाधि।
(2) सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2	पोषक संवर्ग सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 से शत–प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से।
(3) (i) सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (विकास शाखा)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि स्नातकोत्तर उपाधि।
(ii) सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (रसायन शाखा)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि रसायन/मृदा विज्ञान/भूमि संरक्षण मे स्नातकोत्तर उपाधि।
(4) कनिष्ठ अभियन्ता	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्था से कृषि/सिविल/मैकेनिकल/ विद्युत अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा
(5) प्राविधिक सहायक	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि
(6) सहायक सांख्यिकी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से

	अधिकारी वर्ग–2	गणित / सांख्यिकी / गणितीय सांख्यिकीय में स्नातक एवं गणित / सांख्यिकी / गणितीय सांख्यिकीय / अर्थशास्त्र / वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कम्प्यूटर में "ओ लेवल" डिप्लोमा।
	(7) संगणक / डाटा एंट्री आपरेटर	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से गणित / सांख्यिकी / गणितीय सांख्यिकी में स्नातक उपाधि के साथ गणित / सांख्यिकी / वाणिज्य शास्त्र / अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कम्प्यूटर में "ओ लेवल" अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र।
	(8) अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1	मौलिक रूप से नियुक्त सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–2 एवं संगणक / डाटा एंट्री आपरेटर के पदों से आनुपातिक क्रम में ज्येष्ठता के आधार पर।

अधिमानी अर्हताऐं — 9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने–
(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

अनिवार्य / वांछनीय अर्हताऐं — 10. अनिवार्य / वांछनीय अर्हताएं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 समय–समय पर यथा संशोधित के प्राविधानों के अनुसार होगी।

आयु — 11. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमे

रिक्तियाँ विज्ञापित की जायँ, पहली जुलाई को न्यूनतम आयु 21 वर्ष प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायँ, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

12. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें, नैतिक अद्यमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्व व्यक्ति भी पात्र नहीं होगें।

वैवाहिक प्रास्थिति

13. ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक पति जीवित हो, सेवा में, किसी पद पर नियुक्ति के पात्र न होंगे:

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के परिवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

14. किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हों, और वह ऐसें किसी शारीरिक दोष से मुक्त न हों जिससे

उसे अपने कर्त्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्त हस्त पुस्तिका के खण्ड 2, भाग–3 के अध्याय 3 में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थ्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम– 2016 (अधिनियम संख्या–49 वर्ष 2016 भारत सरकार) की धारा–33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा–34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह और कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग–पाँच– भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों का अवधारणा

15. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रकिया

16. इस नियमावली के अधीन सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती नियम 5 में उल्लिखित पदों पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित सम्बन्धित आयोग द्वारा की जायेगी।

(क) सीधी भर्ती उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) समूह "ग" के पदों पद सीधी भर्ती हेतु तद्समय प्रचलित नियमावली एवं समय–समय पर यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

(ख) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की

I/107049/2023

परिधि के अन्तर्गत) समूह "ग" के पदों पद सीधी भर्ती हेतु तद्समय प्रचलित नियमावली एवं समय–समय पर यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।
टिप्पणी– प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग यथा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग जो लागू हो, के द्वारा समय–समय पर विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किये जायेगें।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	17.	पदोन्नति द्वारा भर्ती निम्नलिखित आधार पर की जायेगी, (1) पदोन्नति के समस्त पदों पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर निम्नलिखित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी:– (क) निदेशक कृषि/विभागाध्यक्ष – अध्यक्ष (ख) अपर निदेशक/समकक्ष अधिकारी –सदस्य (ग) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट –सदस्य दो राजपत्रित अधिकारी किन्तु यदि उपरोक्तानुसार गठित चयन समिति में अध्यक्ष अथवा सदस्य में से कोई भी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/ जनजाति में से किसी अधिकारी जो श्रेणी–2, राजपत्रित से निम्न न हो, सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गुणानुक्रम के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उससे सम्बन्धित अन्य अभिलेख चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे, जो उचित समझे जायं। (3) चयन समिति द्वारा उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार किया जायेगा।

(4) चयन समिति चयनित किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठताक्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उसकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति-दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक सुयंक्त सूची इस प्रकार तैयार की जाएगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति का होगा।

<u>भाग–छः–नियुक्ति,परिवीक्षा,स्थायीकरण और ज्येष्ठता</u>

नियुक्ति

19. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें यथास्थिति नियम 16, 17 एवं 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियॉ करेगा।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हो तो नियमित नियुक्तियॉ तब तक नहीं की जायेगी जब तक दोनों स्रोतो से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा यथास्थिति चयन में अवधारित किया जाए या जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय।

परिवीक्षा

20. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा;

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले परिवीक्षा का विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक

अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे:-

परन्तु उपबन्ध यह है, कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धाराणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

21. (1) नियम 20 के उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा, यदि:–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक हो, और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो,

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

(2) जहॉ समय–समय पर यथा संशोधित, उत्तराखण्ड सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं हैं, वहॉ उक्त नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा कि संबन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जाएगा।

ज्येष्ठता — 22. किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात–वेतन आदि

वेतनमान — 23. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट "क", "ख", "ग" और "घ" में दिये गये हैं।

भाग–आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन — 24. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा, किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन — 25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा

विनियमित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

26. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों की विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उन नियमों की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलों के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझें।

परन्तु उपबन्ध यह है, कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहाँ नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

व्यावृत्ति

27. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

Signed by Basava Venkata
Rana Chandra Purushottam
Date: 17-03-2023 13:02:23
(डा.बी.वी.आर.सी.पुरूषोत्तम)
सचिव।

1/107515/2023

परिशिष्ट–"क"

उत्तराखण्ड अधीनस्थ कृषि सेवा में पदों की सूची (सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1,वर्ग–2 एवं वर्ग–3)

1. सहायक कृषि अधिकारी संवर्ग– (अराजपत्रित)

(क) विकास शाखा

क.सं.	समूह का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रूपये में) (सातवां वेतनमान)	शैक्षिक अर्हता (सीधी भर्ती हेतु)	भर्ती का स्रोत	नियुक्ति प्राधिकारी
01	02	03	04	05	06	07	08
1	वर्ग–1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (बीज)	01	44900–142400 वेतन मैट्रिक्स लेवल–7	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि स्नातकोत्तर उपाधि।	1. पचास प्रतिशत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। 2. पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त वर्ग–दो के विकास शाखा के कार्मिकों जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	कृषि निदेशक
2	वर्ग–1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (उवर्रक)	01	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
3		सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (जैविक कृषि दैवी आपदा)	01	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
4		सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (कृषि रक्षा)	14	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
5		सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (निगरानी)	01	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
6		सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (धान्य फसलें स्थानीय प्रजातियां, नकदी फसलें एवं कृषि यंत्र)	01	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
7		सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (नियोजन)	01	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
8		सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (तकनीकी संप्रेक्षण)	01	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
9	वर्ग–1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (प्रचार–प्रसार	01	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–

I/107515/2023

		एवं प्रशिक्षण)					
10		सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (जलागम)	01	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
11		सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (सामान्य)	15	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
12		सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (भूमि एवं जल संरक्षण)	15	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
13		सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाई स्तर पर)	35	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
14		सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (विकासखण्ड स्तर पर)	95	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
15		सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (प्रशिक्षण केन्द्र)	03	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
16		सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (ज्येष्ठ रसायनज्ञ एवं विपणन)	02	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
17		सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (विपणन)	02	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
18		सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (वर्गीकरण)	05	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
		योग (विकास शाखा):–	195				

(ख)– रसायन शाखा (रसायन एवं शोध शाखा)

क.सं.	समूह का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रूपये में) (सातवां वेतनमान)	शैक्षिक अर्हता (सीधी भर्ती हेतु)	भर्ती का स्रोत	नियुक्ति प्राधिकारी
01	02	03	04	05	06	07	08
1	वर्ग–1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (गुण नियंत्रण)	01	44900–142400 वेतन मैट्रिक्स लेवल–7	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि रसायन/मृदा विज्ञान/भूमि संरक्षण मे स्नातकोत्तर उपाधि।	1. 50 प्रतिशत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। 2. 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त वर्ग–दो के रसायन शाखा के सदस्यों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुयें विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	कृषि निदेशक
2	वर्ग–1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (मृदा परीक्षण)	16	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
3		सहायक कृषि अधिकारी,	04	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–

		वर्ग–1(विश्लेषक उर्वरक)					
4		सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (विश्लेषक कीटनाशी)	04	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
5		सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (तकनीशियन)	02	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
6		सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (आई0पी0एम0 प्रयोगशाला)	04	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
7		सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (बीज परीक्षण)	02	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
8	वर्ग–1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (प्रशिक्षण केन्द्र)	02	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
9		सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (अनुसंधान)	03	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
	योग (रसायन शाखा):–		38	–	–	–	–
	महायोग (विकास एवं रसायन):–		233	–	–	–	–

सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–दो (विकास शाखा)

क्र.सं.	समूह का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रूपये में) (सातवां वेतनमान)	शैक्षिक अर्हता (सीधी भर्ती हेतु)	भर्ती का स्रोत	नियुक्ति प्राधिकारी
1	02	03	04	05	06	07	08
1	वर्ग–2	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 (विधायी/तिलहन दलहन एवं व्यवस्था निदेशालय स्तर)	01	29200–92300 वेतन मैट्रिक्स लेवल–5	–	(एक)– मौलिक रूप से नियुक्त वर्ग–3 के ऐसे कार्मिकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, सें से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए विभागीय चयन समिति के माध्यम से शतप्रतिशत पदोन्नति द्वारा। (दो)– सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 में शाखा का आवंटन उपलब्ध पदों की स्थिति के अनुसार पदोन्नत कार्मिक के विकल्प एवं वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। परन्तु की स्थिति में	कृषि निदेशक

I/107515/2023

						यदि पात्र कार्मिकों की संख्या कम है तथा पदोन्नति हेतु पदों की संख्या ज्यादा है, तो, पदोन्नत कार्मिकों में से वरिष्ठता के आधार पर 85 प्रतिशत को विकास शाखा एवं 15 प्रतिशत को रसायन शाखा जिस अनुपात में पद है, के अनुसार शाखा आवंटित होगी।	
2	वर्ग–2	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 (कृषि निवेश आपूर्ति जिला स्तर)	09	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
3		सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 (प्रक्षेत्र प्रबन्धन)	06	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
4		सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 (कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय हेतु)	35	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
5		सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 (कृषि निवेश आपूर्ति विकास खण्ड स्तर)	95	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
6		सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 (न्याय पंचायत स्तर)	187	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
7		सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 (विपणन)	07	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
8		सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 (प्रशिक्षण)	02	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
		योग (विकास शाखा):–	342	–	–	–	–

सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–दो (रसायन शाखा)

क.सं.	समूह का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रूपये में) (सातवां वेतनमान)	शैक्षिक अर्हता (सीधी भर्ती हेतु)	भर्ती का स्रोत	नियुक्ति प्राधिकारी
01	02	03	04	05	06	07	08
1	वर्ग–2	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 (उर्वरक)	07	29200–92300 वेतन मैट्रिक्स लेवल–5	–	(एक)– मौलिक रूप से नियुक्त वर्ग–3 के ऐसे सदस्यों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस	कृषि निदेशक

I/107515/2023

					रूप में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए विभागीय चयन समिति के माध्यम से शतप्रतिशत पदोन्नति द्वारा। (दो)— सहायक कृषि अधिकारी वर्ग—2 में शाखा का आवंटन उपलब्ध पदों की स्थिति के अनुसार पदोन्नत कार्मिक के विकल्प एवं वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। परन्तु की स्थिति में यदि पात्र कार्मिकों की संख्या कम है तथा पदोन्नति हेतु पदों की संख्या ज्यादा है, तो, पदोन्नत कार्मिकों में से वरिष्ठता के आधार पर 85 प्रतिशत को विकास शाखा एवं 15 प्रतिशत को रसायन शाखा जिस अनुपात में पद है, के अनुसार शाखा आवंटित होगी।	
2	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग—2 (कीटनाशी)	07	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
3	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग—2 (मृदा परीक्षण)	39	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
4	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग—2 (आई0पी0एम0)	04	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
5	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग—2 (बीज परीक्षण)	02	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
6	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग—2 (प्रदर्शन एवं शोध)	03	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	योग—(रसायन शाखा)	62	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	योग— विकास शाखा	404	—	—	—	—

I/107515/2023

		एवं रसायन शाखा					

सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–तीन

क्र.सं.	समूह का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रूपये में) (सातवां वेतनमान)	शैक्षिक अर्हता (सीधी भर्ती हेतु)	भर्ती का स्रोत	नियुक्ति प्राधिकारी
01	02	03	04	05	06	07	08
1	वर्ग–3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3 (न्याय पंचायत स्तर)	483	25500–81100 वेतन मैट्रिक्स लेवल–4	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि।	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	कृषि निदेशक

(सहायक कृषि अधिकारी संवर्ग के कुल पद– सहायक कृषि अधिकारी वर्ग एक–233, वर्ग दो–404 एवं वर्ग तीन–483=1120)

परिशिष्ट–"ख"

उत्तराखण्ड अधीनस्थ कृषि सेवा में पदों की सूची (कनिष्ट अभियन्ता)

	समूह का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रूपये में) (सातवां वेतनमान)	शैक्षिक अर्हता (सीधी भर्ती हेतु)	भर्ती का स्रोत	नियुक्ति प्राधिकारी
01	02	03	04	05	06	07	08
1	वर्ग–1	कनिष्ठ अभियन्ता	35	44900–142400 वेतन मैट्रिक्स लेवल–7	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कृषि/सिविल/मैकेनिकल/विद्युत अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	कृषि निदेशक
2		कनिष्ठ अभियन्ता (जिला स्तर)	15	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
3		कनिष्ठ अभियन्ता (निदेशालय स्तर)	02	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
4		कनिष्ठ अभियन्ता (मण्डल स्तर गढ़वाल/कुमाऊ)	02	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
	कुल योग–		54	–	–	–	–
5	वर्ग–1	प्राविधिक सहायक (निदेशालय स्तर)	03	44900–142400 वेतन मैट्रिक्स लेवल–7	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी में	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	कृषि निदेशक
	योगः–		03	–	–	–	–

(अभियन्त्रण शाखा में कनिष्ठ अभियन्ता के कुल सीधी भर्ती के स्वीकृत पद–54 एवं प्राविधिक सहायक के 03 पद स्वीकृत है)

I/107515/2023

परिशिष्ट–"ग"

उत्तराखण्ड अधीनस्थ कृषि सेवा में पदों की सूची (सांख्यिकी संवर्ग)

	समूह का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रूपये में) (सातवां वेतनमान)	शैक्षिक अर्हता (सीधी भर्ती हेतु)	भर्ती का स्रोत	नियुक्ति प्राधिकारी
01	02	03	04	05	06	07	08
1	वर्ग–2	सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–2 (जिला स्तर जिलाधिकारी / उप जिलाधिकारी)	33	35400–112400 वेतन मैट्रिक्स लेवल 6	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से गणित / सांख्यिकी / गणितीय सांख्यिकीय / अर्थशास्त्र / वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कम्प्यूटर में "ओ लेवल" डिप्लोमा।	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	कृषि निदेशक
2	वर्ग–2	सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–2 (निदेशालय स्तर)	07	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
3	वर्ग–2	सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–2 (मुख्य राजस्व आयुक्त)	04	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
		योग:–	44	–	–	–	–
4	वर्ग–1	अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 (निदेशालय स्तर नियोजन)	01	44900–142400 वेतन मैट्रिक्स लेवल–7	–	मौलिक रूप से नियुक्त सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–2 एवं संगणक / डाटा एंट्री आपरेटर के कार्मिकों जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदों के आनुपातिक क्रम में ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये विभागीय चयन समिति के माध्यम से शतप्रतिशत पदोन्नति द्वारा।	कृषि निदेशक
5		अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 (निदेशालय स्तर)	05	–तदैव–	–	–तदैव–	–तदैव–
6		अपर सांख्यिकी अधिकारी	02	–तदैव–	–	–तदैव–	–तदैव–

I/107515/2023

		वर्ग–1 (मण्डल स्तर गढ़वाल / कुमाऊं)					
7		अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 (जनपद स्तर जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी)	17	–तदैव–	–	–तदैव–	–तदैव–
8		अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 (मुख्य राजस्व कार्यालय)	03	–तदैव–	–	–तदैव–	–तदैव–
9		अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 (सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र)	01	–तदैव–	–	–तदैव–	–तदैव–
	योग–		29				

(शासनादेश सं0 1003 / XIII-1/2012-3(12)2004 दिनांक 05 अक्टूबर, 2012 के अनुसार सांख्यिकीय संवर्ग के कुल सृजित 73 पदों का 60 प्रतिशत के 44 पद, वर्ग–2 में तथा 40 प्रतिशत के 29 पद, वर्ग–1 में पदों का विभाजन कर रखें गये है)

परिशिष्ट–"घ"

उत्तराखण्ड अधीनस्थ कृषि सेवा में पदों की सूची (सांख्यिकी संवर्ग)

1 - सांख्यिकी संवर्ग– संगणक / डाटा एन्ट्री आपरेटर

क.सं.	समूह का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रूपये में) (सातवां वेतनमान)	शैक्षिक अर्हता (सीधी भर्ती हेतु)	भर्ती का स्रोत	नियुक्ति प्राधिकारी
01	02	03	04	05	06	07	08
1	संगणक / डाटा एन्ट्री आपरेटर	संगणक / डाटा एन्ट्री आपरेटर (निदेशालय स्तर)	03	35400–112400 वेतन मैट्रिक्स लेवल 6	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से गणित / सांख्यिकी / गणितीय सांख्यिकी में स्नातक उपाधि के साथ गणित / सांख्यिकी / वाणिज्य शास्त्र / अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कम्प्यूटर में "ओ लेवल" अथवा समकक्ष का प्रमाण पत्र।	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	कृषि निदेशक
2		संगणक / डाटा एन्ट्री आपरेटर (मुख्य राजस्व आयुक्त)	01	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
	योग–		04				

(सांख्यिकी संवर्ग में संगणक / डाटा एन्ट्री आपरेटर के सीधी भर्ती के कुल स्वीकृत पद–04 है। कार्य के दृष्टिगत डाटा एन्ट्री आपरेटर की शैक्षिक योग्यता पूर्व में निर्धारित न होने के कारण उक्तानुसार रखी जा रही है।)

Signed by Ranvir Singh Chauhan
Date: 20-03-2023 12:17:58

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर सचिव।

DD(h2)

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–1
संख्या–130551ई–14907 / XIII–1 / 2023–3(10)2013
देहरादून दिनांकः 17 जून, 2023

19/6/2023

अधिसूचना / शुद्धि–पत्र

उत्तराखण्ड अधीनस्थ कृषि सेवानियमावली, 2023 को प्रख्यापित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना संख्या–107163 / ई–14907 / XIII–1 / 2023–03(10)2013 दिनांक 20 मार्च, 2023 के अंग्रेजी पाठ को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:–

1. उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी पाठ के भाग–3, भर्ती का स्रोत के नियम–5 के उपनियम (2) में **Assistant Agriculture Officer Group-2** में उल्लिखित **Seven years** के स्थान पर **Five years** पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी पाठ के भाग–3, भर्ती का स्रोत के नियम–5 के उपनियम (8) में **Additional Statistics Officer Group-1** में उल्लिखित **Seven years** के स्थान पर **five years** पढ़ा जाय।

3. उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी पाठ के परिशिष्ट 'क' के बिन्दु संख्या–(ख) रसायन शाखा (रसायन एवं शोध शाखा) शैक्षिक अर्हता (सीधी भर्ती हेतु) में **Post Graduate Degree Agriculture / Soil Science / Soil Conservation from a recognized Institution or University.** के स्थान पर **Post Graduate Degree Agriculture Chemisty / Soil Science / Soil Conservation from a recognized Institution or University** पढ़ा जाय।

उक्त अधिसूचना संख्या–107163 / ई–14907 / XIII–1 / 2023–03(10)2013 दिनांक 20 मार्च, 2023 के अंग्रेजी पाठ का इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

कृषि निदेशालय
पत्र प्राप्ति सं. 403
दिनांक 19-6-2023
उत्तराखण्ड, देहरादून

Signed by Deependra Kumar Chaudhari
Date: 16-06-2023 10:46:48

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव

21/6/23

संख्याः 130559 पत्रा0सं0–14907 / XIII–1 / 2023–3(10)2013 तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियां कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(नरेन्द्र सिंह रावत)
अनु सचिव